Central Goods & Services Tax Rules, 2017

¹[Rule 83B: Surrender of enrolment of goods and services tax practitioner

- (1) A goods and services tax practitioner seeking to surrender his enrolment shall electronically submit an application in FORM GST PCT-06, at the common portal, either directly or through a facilitation centre notified by the Commissioner.
- (2) The Commissioner, or an officer authorised by him, may after causing such enquiry as deemed fit and by order in FORM GST PCT-07, cancel the enrolment of such practitioner.]

¹ Rule 83B inserted by Noti. No. 33/2019–Central Tax, dt. 18-07-2019. This amendment, not yet notified.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

1[नियम 83ख: माल और सेवा कर व्यवसायी के नामांकन का प्रस्तुतीकरण

- (1) माल और सेवा कर व्यवसायी, जो अपने नामांकन को प्रस्तुत करने की वांछा करता है, सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी पीसीटी—06 में आवेदन इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा।
- (2) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच जो वह ठीक समझे करवाएं जाने के पश्चात् और प्ररूप जीएसटी पीसीटी—07 में आदेश द्वारा ऐसे व्यवसायी के नामांकन को रदद कर सकेगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा नियम 83ख अंतःस्थापित। यह संशोधन प्रभावशील नहीं किया गया है।